सेन्ट्रल जोन इंश्योरेन्स एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से सम्बद्ध)

प्रभांजलि, 33, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कामकाजी महिला समन्वय समिति

परिपत्र/विशेष **दिनांक : 23.02.2015**

मध्य क्षेत्र के समस्त बीमा कर्मियों के नाम

प्रिय साथियों,

विषय : 8 मार्च - अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और बधाईयाँ। आधी आबादी को जो अपेक्षित हक मिलना चाहिये वो उसे कभी मिला ही नहीं किन्तु अब तक जितना भी मिला है इसे संघर्षों से प्राप्त किया गया है। इस संघर्ष का प्रारंभ 8 मार्च 1857 को अमेरिका के न्यूयार्क के कपड़ा मिल की महिला कर्मचारियों ने किया। जब काम करने का समय असीमित था तब इसे 10 घण्टे तक सीमित करने, महिला कर्मचारियों को पुरूष कर्मचारियों की तरह समान अधिकार देने और काम की स्थितियों को सुधारने की मांग कर उन्होंने जुलूस निकाल कर धरना दिया। और जैसा कि होता आया है उनके आन्दोलन को बुरी तरह कुचल दिया गया, उन्हें इस बुरी तरह भयभीत किया गया कि फिर अनेक वर्षों तक कोई मुखर आन्दोलन नहीं हुआ। 8 मार्च 1908 को न्यूयार्क के ही सुई उद्योग में काम करने वाली महिलाओं ने काम के समय को कम करने और वोट देने के अधिकार की मांग के साथ पुन: संघर्ष शुरू किया और रैली निकाल कर प्रदर्शन किया। महिलाओं के संघर्ष और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को यादगार बनाने के लिए 1910 में समाजवादी महिलाओं के दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सचिव क्लारा जेटकिन ने प्रस्तावित किया कि 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाये। सफलता के लिए शुरूआत करना ही साहसिक कदम होता है। न्यूयार्क की महिला कर्मचारियों के इस सराहनीय साहस ने ही महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में जुड़ने का हौसला दिया है और यह संघर्ष आज भी जारी है।

शिक्षा, जागरूकता, साधन और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होने के बाद भी आनुपातिक रूप से लड़कियों की संख्या लगातार घट रही है। प्रतिदिन भ्रूण हत्या हो रही है, यह आंकड़ा वर्ष भर में 1,20,000 के करीब हो जाता है। हमारे यहां बाहर निकलते समय सुरक्षित महसूस करने की चाह रखना एक महिला का स्वाभाविक अधिकार नहीं माना जा रहा है, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाये तो न्याय या सहानुभूति भी शर्तों (उसने क्या पहना था, किस समय बाहर गई थी, बाहर निकलने का कारण क्या था) के आधार पर होती है। अर्थात् घटना के लिए उन्हें ही उत्तरदायी मान लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। इससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण की बात हर मौके पर की जाती है, उन्हें बाहर निकलने, शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी करने का अधिकार दिया जाये किन्तु इससे अधिक कि वो क्या पढ़े, कहां मौकरी करे, अपनी मर्जी से शादी करे, की आजादी देने की मानसिकता अब भी नहीं है। जब भी महिलायें अपनी आजादी की बात करती हैं पूरा समाज उन्हें यह समझाने में लग जाता है कि उनकी आजादी से नैतिकता को खतरा हो सकता है। यह मानसिकता बताती है कि रहन-सहन और परिवेश में हम जितने भी आधुनिक हुए हों, सोच में उतने ही पिछड़े हुए हैं। हमारे देश में प्रति वर्ष 60 लाख नसबंदी के आपरेशन होते हैं, इनमें से अधिकतम (97%) आपरेशन महिलाओं पर किये गये हैं क्योंकि पुरूष प्रधान समाज में बच्चे न होने पर भी महिलाओं को भुगतना होता है और रोकने के लिए भी। इस पर कुछ ऐसे लोग जिनकी समझदारी पर हमेशा प्रश्नचिन्ह लगा होता है, फिर भी जो समाज को दिशा देने का दावा करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के

लिए महिलाओं को मशीन समझ कर उन्हें सलाह देने लगते हैं कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने चाहिये।

वैश्वीकरण ने महिला को चार दीवारी से बाहर निकाल कर बाजार दिखाया है, जहां उसके सपने, श्रम और छवि बिकती है। महिला पर अब परिवार, व्यवसाय के साथ सुंदर दिखने की जिम्मेदारी भी आ गई है। सर्वगुण सम्पन्न महिला "Super Woman" जो हमेशा सुंदर दिखे, घर के सब काम करे, बच्चों को पढ़ाये, उनके साथ खेले, सबकी आवश्यकताओं को समय पर पूरी करे, घर के साथ बाहर के काम भी संभाल ले, की छवि ने संघर्षशील महिला के संघर्षों को और भी मुश्किल कर दिया है क्योंकि Super Woman की छवि के किसी भी मोर्चे पर जब वह कमजोर पड़ती है तो अपने आप को हारा हुआ महसूस करती है जो उसके आत्म-विश्वास को कमजोर कर देता है।

एक विकसित और सभ्य समाज में सभी नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार होना चाहिये। शिक्षा का वास्तविक उपयोग भी तभी माना जायेगा जब लोग आत्म-निर्भर हों, आत्म-विश्वास और आत्म सम्मान से परिपूर्ण हों, अंध-विश्वास, रूढ़ियों और परम्पराओं के नाम पर वे किसी के बहकावे में न आवें, सही और गलत को स्वयं समझें, कोई भी उन्हें न बताये कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो, महिलाओं का संघर्ष ऐसी ही समाज व्यवस्था के लिए संघर्ष है जिसमें बराबरी हासिल करने की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां मौजूद हों। आर्थिक मजबूती भी एक बड़ा पक्ष है जिसके बिना महिलाओं की अस्मत और अस्मिता, अस्तित्व और व्यक्तित्व, अधिकार और अभिव्यक्ति, समानता और सम्मान, निर्णय लेने की क्षमता के प्रत्येक संघर्ष अधूरे रहेंगे। इन संघर्षों में महिलाओं का साथ मात्र कुछ जनवादी ताकतें ही दे रही हैं वरन् उनके सम्मान की केवल बात होती है, यही कारण है कि विधायिका में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल 1996 से अब तक पारित नहीं किया जा सका है।

एक जागरूक संगठन के रूप में AIIEA और CZIEA ने सदा महिलाओं के साथ-साथ अपने सभी सदस्यों को सांगठनिक, सामाजिक, राजनैतिक और वैचारिक तौर पर मजबूत करने के प्रयास किये हैं। उन्हें अंध-विश्वास, रूढ़िवाद, गलत परम्पराओं के खिलाफ लगातार शिक्षित कर, संघर्ष करने के लिए तैयार करती है। हम समझते हैं कि जागरूकता और संघर्ष से अधिकार मिला करते हैं जो आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान में इजाफा करते हैं। यह संघर्ष एक अकेले संगठन से संभव नहीं है, इसके लिए हमारी तरह के सोच रखने वाले विभिन्न जनसंगठनों के साथ मिलकर निरन्तर अभियान चलाकर ही सफलता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

हमारे संघर्ष ही हमारे अस्तित्व को बचाये रख सकते हैं। हमारे सामने संघर्ष ही संघर्ष हैं। 1 अगस्त 2012 से देय वेतन पुनर्निर्धारण, जिसके लिए द्वार प्रदर्शनों के बाद 23 फरवरी 2015 को 2 घण्टे की सफल बहिर्गमन हड़तला हमारे द्वारा की गई। मार्च माह में इस संबंध में एक दिवसीय हड़ताल करना है। बीमा कानून संशोधन बिल 2008, इस बजट सत्र में पारित करने के सभी प्रयास किये जायेंगे जिसके संबंध में शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद अध्यादेश जारी कर दिये गये थे। यदि बिल पारित होता है तो अगले दिन एक दिवसीय हड़ताल कर विरोध कर जनता को जागरूक करने पुन: सड़कों पर आयेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को बचाये रखने का संघर्ष पूरी जागरूकता के साथ निरन्तर करना होगा क्योंकि हमारे संघर्षों के कारण ही यह अब तक अस्तित्व में है वरना सरकारें तो कब से निजीकृत करने को आमादा रही है और अब भी हैं। वेतन पुनर्निर्धारण के साथ ही पेंशन के एक अवसर के लिए, मोबिलिटी के खिलाफ, नई भर्ती के लिए, शेष बचे Regular Part-time कर्मचारियों को up-grade करने के लिए, AIIEA को मान्यता प्रदान करने के लिए भी संघर्ष करना है। इन संघर्षों में अपनी भागीदारी देकर ही हम विजय को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी मंडलीय और शाखा इकाईयों में सभा, सेमीनार, गोष्ठियों का आयोजन करें, अन्य जनवादी संगठनों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करें एवं उनके कार्यक्रमों में भी शिरकत करें।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

आपकी साथी

(उषा परगनिहा)

संयोजिका

मुद्रक : एक्सेल ऑफसेट प्रिन्टर्स, फूल चौक, रायपुर (छ.ग.) दूरभाष : 0771-4053295